

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 58174 / परीक्षा-4

इन्दौर, दिनांक 15 JUL 1993

प्रति,

कृ. व. ले. क. क. 3,

सागर

विषय :- सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी-
§ विज्ञापन क्रमांक 0390/परीक्षा § के पद पर चयन ।

— 00 —

आयोग द्वारा उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिये आपका नाम शासन को अनुशंसित किया गया है । चयन सूची की मुख्य सूची में गुणानुक्रम में आपका नाम क्रमांक 106 पर है ।

नियुक्ति के संबंध में आगामी पत्र-व्यवहार संबंधित विभाग से सीधे करें ।

आर. आर. आर.

स्टॉफ आफीसर.

//धूव//

101. कु० राजश्री आर्ष
[आपाती महा०प्रा०]
जी 2/3 विद्याराजेनगर
विश्वविद्यालय परिसर उज्जैन ।
शा०पहा०आती ट[रतलाय]
102. श्रीमती लता शिवा [आर्ष]
दारा श्री छोटेलाल अग्रवाल
37 ए ए/16 मधुशर आगरा ।
शा०स्नातकी स्तर महा०टीकमगढ़ ।
103. कु० राधा घाट
मैन पानी रोड तिली तागर ।
शा०पहा०राहागढ़ [तागर] ।
104. श्री धर्मत कुमार रंजन
पैठिया सांघी वार्ड-3 रायदयाल
शाह भवन समस्तीपुर सी०जिहा
समस्तीपुर बिहार ।
शा०पहा० कौण्डागांव [बस्तर] ।
105. श्री सुनिल कुमार झा
540 बी हाथीवाला बैंक इंदौर ।
शा०पहा० किरन्दूल [बस्तर] ।
106. कु० बेलु कक्कड़
[आपाती महा०प्रा०]
5/25 सदरबाजार तागर ।
शा० पहा०कन्या तागर ।
107. कु० मृणाल लक्ष्मिना
म०ने० । इंदिरा होस्टल ए०पी०एस०पू०
रीवा ।
शा०पहा० जतवारा [सतना]
108. श्री आशीष कुमार सिंह
अनुवादक हिन्दी अनुभाग
अपरा संख्या-556 बी तकनीकी
विकास महा निदेशालय उद्योग भवन
दिल्ली ।
शा०पहा० पाडुरना [छिंदवाड़ा] ।

2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला विकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय समक्ष अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । एवं साथ छाया प्रतियों सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 18 अप्रैल, 94 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा ।
राजकीय अर्द्धराजकीय विभागों/निगमों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय

Appointment order (Revised)

21

उच्च शिक्षा संचालनालय

मध्यप्रदेश

=====

क्रमांक 2735 / उ.शि.सं/राज.स्था./88 भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 88
प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय कन्या महाविद्यालय,

सागर म.प्र.

विषय:- कु० वैलू कक्कड़ सहायक प्राध्यापक अग्रेजी को कार्यभार ग्रहण
कराने बाबत ।


संदर्भ :- आदेश क्रमांक 230/295/उ.शि.सं/राज.स्था./88 भोपाल,
दिनांक 12.7.88

=0000=

उपरोक्त संदर्भित आदेश के सरल क्रमांक 48 द्वारा कु० वैलू कक्कड़
सहायक प्राध्यापक अग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट को कन्या
महाविद्यालय, सागर स्थानान्तरित किया गया ।

चूंकि इन्होंने बालाघाट में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।

अतः आप इन्होंने अपने महाविद्यालय, में कार्यभार ग्रहण कराकर सूचित करें ।



डॉ० डी० डी० जैसवाल

संयुक्त संचालक-

उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

27.7.88

8/8/88

Home Charge After Marriage

सतपुरा मंत्र, गीणा-462004

क्रमांक/

1960

भासा-6/93,

गीणा, दिनांक

// आदेश //

निम्नलिखित महाक प्राध्यापकों के विवाहोत्तरान्त अपना परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

सं. क्र. महा. प्राध्यापक का नाम महा. प्राध्यापक का विवाह पूर्व नाम तथा पिता का नाम महा. प्राध्यापक का विवाहोत्तरान्त नाम तथा पति का नाम

111 सुश्री सुशीला चौहान, महा. प्रा. समाजशास्त्र, गीणा महाविद्यालय, श्रीरामगढ़
 सुश्री सुशीला चौहान श्री हीरालाल चौहान श्रीमती सुशीलाकाकवाड पति श्री प्रभात काकवाड

126 सुश्री सुमनमी गिमाणी, महा. प्रा. अर्थशास्त्र, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 सुश्री सुमनमी गिमाणी, श्रीमती सुमनमी गिमाणी पति डॉ. पी. एच. कापरी
 पिता विद्यानंद गिमाणी

131 सुश्री सुमनमी गिमाणी, महा. प्रा. अर्थशास्त्र, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 सुश्री सुमनमी गिमाणी, श्रीमती सुमनमी गिमाणी पति डॉ. पी. एच. कापरी
 पिता विद्यानंद गिमाणी

141 सुश्री सुमनमी गिमाणी, महा. प्रा. अर्थशास्त्र, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 सुश्री सुमनमी गिमाणी, श्रीमती सुमनमी गिमाणी पति डॉ. पी. एच. कापरी
 पिता विद्यानंद गिमाणी

हस्ताक्षर /
 संयोजक संवाक गृह
 उच्च शिक्षा, सतपुरा मंत्र, गीणा
 दिनांक, दिनांक 11-8-2020

क्रमांक/1179 /1960 /भासा-6/2000

प्रतिनाम:-

- 111 महासेवाकार म.प्र. गीणा
- 126 उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, गीणा
- 131 उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, गीणा
- 141 उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, गीणा
- 151 उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, गीणा

श्रीमती विमला नंदा
 महाविद्यालय, जयपुर
 श्री ओर सुनील एवं अविनाश काकवाड

उच्च शिक्षा, सतपुरा मंत्र

दिनांक 11/8/2020

- 5.. श्रीमती सं. सु. मो. 2347 गुवागु नगर बंदार । शांतिचित्रम महाठ राजनांदगांव
- 6.. श्री दीपन नाम असो । शांतिचित्रम महाठगुं । चिलातपुर । (4/3)
- 7.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 8.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 9.. श्रीम. डेकराम भगत । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 10.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 11.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 12.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 13.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 14.. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं । शांतिचित्रम महाठगुं ।

//// चित्रम ////

- 1. श्री मोहम्मद खानिदखान । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 2. श्री वेद गुवागु नारंग । शांतिचित्रम महाठगुं ।
- 3. श्री सुनी अंजना सुरपाल । शांतिचित्रम महाठगुं ।

Chank


2/ निम्नलिखित प्रत्येकी को विना विहितप्रमाण के मेडिकल बोर्ड का समस्त प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3/ निम्नलिखित में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग श्रेणी के प्रत्यागियों के आस्था संबंधी प्रमाणों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्यागियों को उपस्थिति में समय समय अधिकारी या जति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4/ बदकार ग्रहण करते समय आठु एवं वैधानिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं समय समय प्रक्रिया में संशोधित करना होगा। अल्पसंख्यक के बदकार मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5/ निम्नलिखित क्रिये मध्ये अभ्यर्थियों को दिनांक 25 अक्टूबर, 93 तक बदस्थापना कर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निम्नलिखित आदेश निरस्त माना जायेगा। शासकीय अर्थात् शासकीय विभागों/निगमों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय निगमों का अनाधिकृत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


§ हीरालाल त्रिपाठी §
उप सचिव,


मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

पुं०सं० एक-1/136/93/ए-1/38 § हिन्दी § भोपाल, दिनांक 29 सितंबर, 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्य लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सुवर्ण।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
3. महारिणकार, मध्य प्रदेश सरकार।
4. निज सचिव, मध्य प्रदेश सरकार।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश।
6. संबंधित प्रत्येकी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश।
7. संशोधित मध्य।

सामग्री/.....


उप सचिव,
मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

Handwritten signature

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय- शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 2449
प्रति, दिनांक 10.1.24

✓ श्री सोमकांत परवार
पिता स्व. भीमदास परवार
मो न 8223972766

विषय - अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2023-2024 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक
संदर्भ - कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल का पत्र. क 01/138/आउशि/अवि/2023 भोपाल दिनांक 08.01.24

आवेदन क्रमांक 21069905 Date 10-01-2024

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में अंग्रेजी विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा : -

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 अर्थात् 30 जून 2024 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 15-01-2024 तक कार्यालयीन समय में महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

क्रमांक 2450
प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव,
जनभागीदारी समिति
Jour. M. H. College of Home Sc.
Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)
दिनांक 10.1.24

सचिव,
जनभागीदारी समिति
PRINCIPAL
Jour. M. H. College of Home Sc.
Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)